

प्रशाखा-4, 6, 10, 11 एवं 12 के कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में हुई दिनांक-22.10.2018 को साप्ताहिक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

(i) - प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-4, 6, 10, 11 एवं 12) ।

1. कार्यवली -

क्र०	प्रशाखा	तकनीकी पदों के नियमावली में संशोधन	अनुपालन
1	4	<p>प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4 द्वारा बताया गया कि कुल 8 तकनीकी पद है। इनमें से 5 पद यथा ECG, Lab Technician, X-Ray Technician, Sanitary Inspector & OT Assistant के नियमावली में संशोधन हेतु प्राधिकृत समिति सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त है। राजभाषा विभाग को भेजा गया है।</p> <p>शेष 3 पद - BHW से संबंधित नियमावली विधि विभाग को भेजा गया है। Librarian के नियमावली में त्रुटि सुधार कर पुनः प्राधिकृत समिति सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने तथा परिष्ठापक के नियमावली के संशोधन हेतु तैयारी कर प्राधिकृत समिति सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने का निदेश दिया गया। Pharmasist संबंधी नियमावली एक सप्ताह के अन्दर संचिका को उपस्थापित करने का निदेश दिया गया है।</p>	प्रशाखा पदाधिकारी
2	6	<p>प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रशाखा-6 में कुल 3 तकनीकी पद है। ए०एन०एम० संवर्ग नियमावली संलेख स्तर पर है। जी०एन०एम० तथा जुनियार सिस्टर ट्यूटर से संबंधित नियमावली प्राधिकृत समिति सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है।</p>	अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी



3	11	<p>प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रशाखा-11 से संबंधित 3 तकनीकी पद है ।</p> <p>इनमें से फिजियोथेरापिस्ट/ अकुपेशनल थेरापिस्ट एवं बिहार यक्ष्मा स्वा0 परिदर्शक संवर्ग (संशोधन) नियमाली एवं नेत्र सहायक संवर्ग नियमावली प्राधिकृत समिति सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त हो गया है। तीन दिनों के अंदर विधि विभाग को भेजने का निदेश दिया गया है।</p>	अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी										
5	4	<p>माननीय लोकायुक्त के मामले से संबंधित प्रतिवेदन:-</p> <p>पूर्व के साप्ताहिक बैठक में जिला से संबंधित समेकित सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, लेकिन इसका अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है, जो खेद का विषय है ।</p> <p>इस संबंध में पुनः निदेश दिया जाता है कि सभी जिले से 10 वर्ष और 3 वर्ष वाले कर्मियों के संबंध में समेकित सूची आगामी बैठक के पूर्व इसका अनुपालन किया जाए ।</p>	अवर सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4										
6		<p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/मानवाधिकार आयोग के संबंध में :-</p> <p style="text-align: center;">प्रशाखा-4</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">कुल MJC लंबित -</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">24</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">(9 में SOF शेष क्षेत्रीय कार्यालय से है।)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">LPA-</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">10</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">(03 में SOF शेष क्षेत्रीय कार्यालय से है।)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">कुल CWJC लंबित -</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">130</td> </tr> </table> <p>निदेश दिया गया कि MJC एवं LPA के लिए संबंधित C.S से दूरभाष पर वार्ता करें एवं शेष के लिए संबंधित Nodal Officer से दूरभाष पर वार्ता कर प्रतिशपथ पत्र दायर करायें। मुख्यालय स्तर के लंबित मामलों का तुरंत निष्पादन करें।</p> <p style="text-align: center;">प्रशाखा-6</p> <p>MJC - 4 (क्षेत्रीय कार्यालय)</p>	कुल MJC लंबित -	24	(9 में SOF शेष क्षेत्रीय कार्यालय से है।)		LPA-	10	(03 में SOF शेष क्षेत्रीय कार्यालय से है।)		कुल CWJC लंबित -	130	<p>अवर सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा-4</p> <p>अवर सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा- 6</p>
कुल MJC लंबित -	24												
(9 में SOF शेष क्षेत्रीय कार्यालय से है।)													
LPA-	10												
(03 में SOF शेष क्षेत्रीय कार्यालय से है।)													
कुल CWJC लंबित -	130												

Q

	<p>CWJC -18 (क्षेत्रीय कार्यालय) निदेश दिया गया कि MJC एवं LPA के लिए संबंधित C.S से दूरभाष पर वार्ता करें एवं शेष के लिए संबंधित Nodal Officer से दूरभाष पर वार्ता कर प्रतिशपथ पत्र दायर करायें। मुख्यालय स्तर के लंबित मामलों का तुरंत निष्पादन करें।</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>प्रशाखा-11</u></p> <p>MJC - 02 (क्षेत्रीय कार्यालय) CWJC - 32 (02 HQ & 30 क्षेत्रीय कार्यालय से है।)</p> <p>निदेश दिया गया कि MJC एवं LPA के लिए संबंधित C.S से दूरभाष पर वार्ता करें एवं शेष के लिए संबंधित Nodal Officer से दूरभाष पर वार्ता कर प्रतिशपथ पत्र दायर करायें। मुख्यालय स्तर के लंबित मामलों का तुरंत निष्पादन करें।</p>	<p>अवर सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा-11</p>
	<p style="text-align: center;"><u>प्रशाखा-12</u></p> <p>MJC - 04 (क्षेत्रीय कार्यालय) CWJC - 79 (04 HQ & 75 क्षेत्रीय कार्यालय से है।)</p> <p>निदेश दिया गया कि MJC एवं LPA के लिए संबंधित C.S से दूरभाष पर वार्ता करें एवं शेष के लिए संबंधित Nodal Officer से दूरभाष पर वार्ता कर प्रतिशपथ पत्र दायर करायें। मुख्यालय स्तर के लंबित मामलों का तुरंत निष्पादन करें।</p>	<p>अवर सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा- 12</p>

सामान्य निदेश :-

एम0जे0सी0 से संबंधित वादों को डाकस्तर पर ही निकालकर हाथों-हाथ कार्रवाई कर कारण-पृच्छा दाखिल किया जाए और दो सप्ताह के अन्दर इसका अनुपालन हो ।

2- सी0डब्ल्यू0जे0सी0 वाद में एक माह के अन्दर प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने का लक्ष्य रखें एवं क्षेत्रीय कार्यालय से भी करायें ।

②

3- आई0डब्ल्यू0डी0एम0एस0 को साप्ताहिक रूप से नियमित रूप से देखकर निष्पादित वादों में अग्रेतर कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित किया जाय एवं प्रतिवेदन साप्ताहिक बैठक में रखा जाय ।

ह0/-
(राधेश्याम साह)
विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 150 / वि0स0को0

दिनांक- 23 / 10 / 2018

प्रतिलिपि- निदेशक प्रमुख, प्रभारी प्रशाखा-11 एवं 12 / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-4 एवं 6 / सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 4, 6, 11 एवं 12 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर समेकित प्रतिवेदन के साथ बैठक में उपस्थित रहें ।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।